

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18052021-227053
SG-DL-E-18052021-227053

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]	दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2021/वैशाख 28, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 27
No. 143]	DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2021/VAISAKHA 28, 1943	[N. C. T. D. No. 27

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 मई, 2021

फा. सं. 6(5)/आरआर/सीडी/2018/743.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना जी.एस.आर. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29 मई 1975 की अधिसूचना सं. फा. 2(7)/74-एस -II के अनुसार प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा एवं दिनांक 16.4.1965 की दिल्ली प्रशासन पत्र सं.फा. 2/1/65-नियुक्ति (शाखा) के अनुसार तकनीकी सहायक के पद हेतु भर्ती पद्धति के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा/तकनीकी सहायक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन भर्ती नियमों को नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा/तकनीकी सहायक भर्ती नियमावली, 2021 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं. (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. छूट प्रदान करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

“अनुसूची”

1.	पदनाम		प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा/तकनीकी सहायक
2.	पदों की संख्या		24 *(2021) 22- प्रशिक्षक नागरिक सुरक्षा 02-तकनीकी सहायक *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण		समूह “ग” अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर		स्तर - 5 (29200- 92300/-रुपये सातवें वेतन आयोग के अनुसार)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद		चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		18 से 27 वर्ष के बीच (विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) टीप- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के

			उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		अनिवार्य – - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (क) एनसीडीसी, नागपुर द्वारा आयोजित नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक पाठ्यक्रम या सहायक अग्निशमन पाठ्यक्रम या (ख) सेना या अर्द्धसेना या पुलिस या होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा संगठन से निम्नलिखित में से किन्हीं चार विषयों में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण : - अग्निशमन - प्राथमिक चिकित्सा - बचाव - संचार - पीटी - ड्रिल - आर्म्स ड्रिल - आपदा प्रबन्धन - सेना या अर्द्धसेना या पुलिस या होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा संगठन में कम से कम दो वर्ष का निरन्तर अनुभव। टीप - अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।		लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा - 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा - 80 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे		पदोन्नति:- नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत सातवें वेतन

	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है		आयोग के अनुसार ग्रेड पे 2400 (स्तर-4) में पांच वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ प्रशिक्षक में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		“ग” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति/स्थाईकरण समिति (पदोन्नति/स्थाईकरण पर विचारार्थ) 1. निदेशक नागरिक सुरक्षा, रा0रा0क्षे0दि0स0 - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सीडी), नागरिक सुरक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. , - सदस्य 3. कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सीडी), नागरिक सुरक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. - सदस्य 4. सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
राहुल सूदन, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ना० सु०)

DIRECTORATE OF CIVIL DEFENCE

NOTIFICATION

Delhi, the 10 th May, 2021

F.No. F6(5)/RR./CD/2018/743.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home affairs notification GSR 840 dated 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Instructor Civil Defence, vide Notification no. F.2(7)/74-S.II dated 29th May, 1975 and Technical Assistant vide notification No. Delhi Admn. Lr No.F.2/1/65-Apptts(B) dated 16/04/1965, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Instructor Civil Defence/Technical Assistant in the Directorate of Civil Defence, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement :-

- These Recruitment Rules may be called the Instructor Civil Defence/Technical Assistant Recruitment Rules, 2021 in the Directorate of Civil Defence, Government of NCT of Delhi.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, classification and level in pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualification etc.:- The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person;

- who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these Rules.

5. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Services Department, Govt. on National Capital Territory of Delhi may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving:- Nothing in these Rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Instructor Civil Defence /Technical Assistant.	24* (2021) 22- Instructor Civil Defence 02- Technical Assistant *Subject to variation dependent on workload.	Group Non-Gazetted, Non-ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300 as per the 7 th Pay Commission)	Selection	Between 18 to 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto Forty years) Note:- the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba	Essential:- 1. Degree from a recognized University. 2. (a) Pass in Civil Defence instructor's Course or Auxiliary Fire Fighting Course Conducted by NCDC Nagpur: Or (b) Training in any four of the following subjects of at least two weeks duration from military or Paramilitary or Police or Home Guards Or Civil Defence Organization (i) Fire Fighting (ii) First Aid (iii) Rescue (iv) Communication (v) PT (vi) Drill

					District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep or Ladakh.	(vii) Arms Drill (viii) Disaster Management. 3. At least two years continuous experience in Military or paramilitary or Police or Home Guards or Civil Defence Organization Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidate otherwise well qualified.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ Absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NA	Two Years	By promotion 20% by direct recruitment 80%	Promotion: From Junior Instructor having five years service in the Grade pay of Rs. 2400 (Level-4) as per 7 th CPC rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'C' DPC/DCC (For considering promotion/confirmation): 1. Director Civil Defence, GNCT Delhi – Chairperson 2. Senior Staff Officer (CD), Directorate of Civil Defence of Delhi Member. 3. Junior Staff Officer, Directorate of Civil Defence, GNCT of Delhi – Member.	NA

				4. Member belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC in the case of Direct Recruitment	
--	--	--	--	---	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAHUL SUDAN, Senior Staff Officer (CD)